वेबसाइट

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/जी.वि.वि./लेखा/2017/653 दिनांक :- 27/6/17

प्रति,

श्रीमान प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा म0प्र0 शासन
बल्लभ भवन मंत्रालय,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः- जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से संबंधित महाविद्यालयों को परीक्षा संचालन हेतु माह मई-जून 2016 में प्रदान की गई अग्रिम राशि के समायोजन नहीं कराने बाबत् सूचना।

---

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत विगत सत्र 2016-17 में यू.जी./पी.जी. के परीक्षाओं के संचालन हेतु संलग्न सूची के अनुसार महाविद्यालयों को अग्रिम राशि प्रदान की गई थी। जिसका मध्यप्रदेश शासन/वित्त के नियमानुसार अधिकतम तीन माह मे अनिवार्य रूप से लेखे प्रस्तुत कर समायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी थी। इस संबंध में म.प्र. शासन के पत्र क्र. वि.वि.क्र.एफ.11-2/2011/नियम/चार दिनांक 31.05.2011 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

बार-बार अनुरोध के उपरान्त भी आज दिनांक तक सभी वर्णित महाविद्यालयों द्वारा समायोजन की कार्यवाही हेतु व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये है। परीक्षा संचालन हेतु पुनः पत्र लिखकर विश्वविद्यालय से निरंतर अग्रिम राशि की मांग की जा रही है।

यहां विशेष रूप उल्लेखनीय है कि महालेखाकार ऑडिट ग्वालियर द्वारा समय सीमा में अग्रिम समायोजन नहीं करवाने एवं अग्रिम लंबित रहने की स्थिति में गहन अप्रसन्नता एवं आपत्ति व्यक्त की जाती है।

कृपया संबंधित महाविद्यालयों को पूर्ण समायोजन करवाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें। यही अनुरोध है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. मा.कुलपति महोदया, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक, महोदय की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की बेबसाइड पर अपलोड करवाने का आग्रह है।
5. उप-कुलसचिव(परीक्षा) जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

वित्त नियंत्रक